फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील जीसीएमएस नंबर 2024/240 बअनवान कलाराम वगैरा बनाम रमेश कुमार वगैरा

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13/11/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री रताराम राठौड उपस्थित। रेस्पोंडेण्ट सं 1 से 6 के अधिवक्ता श्री चन्द्रकांत वैष्णव उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं मूल अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष वकुलाय की बहस एवं लिमिटेशन एक्ट में वर्णित प्रावधानों पर मनन के पश्चात धारा 5 के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र को दृष्टिगत रखते हुये अपील को अंदर अवधिकाल माना जाता है। मूल अपील में वकील अपीलांट की दलील है कि मोटा पुत्र खीमा जो कि ग्राम बमणिया स्थित भूमि खसरा नंबर 83, 87, 298, 299, 300, 309, 279, 280, 281, 290, 291, 317 कुल खसरा 12 कुल रकबा 3.92 हैक्टर में बतौर सहखातेदार संवत 2047 से 2050 तक कि जमाबंदी में दर्ज था। रिकार्ड में सहखातेदार मोटा पुत्र खीमा की मृत्यु के पश्चात स्व. मोटा की जगह फौतेदगी नामांतरकरण सं 80 के जरिये **पुरा नेका हजिया पि. मोटा और हंजा बेवा मोटा** का अंकन कर दिया गया। वकील अपीलांट की दलील है कि उक्त विवादास्पद नामांतरकरण के जरिये मोटा के पुत्र कलाराम, स्व. चुनाराम, फुली का नाम छोड दिया व एक अतिरिक्त नाम हजिया जोड दिया गया जबकि कलाराम, स्व. चुनाराम, फुली भी स्व मोटा पुत्र खुमाजी के वैध वारिसान व उत्तराधिकारीगण है व हजिया नाम का कोई वारिस था ही नही। स्व. मोटा पुत्र खुमा के वारिस पुराराम, नेकाराम, कलाराम, चुनाराम, फुली थे जिन में से चुनाराम, नेकाराम व पुराराम की मृत्यु हो चुकी है जिससे उनके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार विवादास्पद नामांतरकरण से मोटा के पुत्र कलाराम स्व. चुनाराम व फुली का नाम छोड दिया जाने तथा हजिया नाम का कोई वारिस ना होते हुये भी अतिरिक्त नाम बतौर वारिस जोड दिया जाने से विवादास्पाद नांमातरकरण सं 80 एव इनिशियों वॉइड होते हुये बिना जांच किये नायब तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 14.05.1993 को स्वीकृत कर दिया गया। जिससे अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम बमणिया के नामांतरकरण सं 80 को निरस्त कर स्व. मोटा के वारिसान कलाराम के वारिस मोटा के पुत्री फुली व स्व. खीमा के नाम नये सिरे से नामांतरकरण के आदेश किये जाने की दलील दी। उपस्थित वकील रेस्पोंडेट सं 1 से 6 के द्वारा भी दलीलों का समर्थन करते हुये अपील स्वीकार किये जाने बाबत सहमति व्यक्त की। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि अपीलांट द्वारा ग्राम बमणिया के नामांतरकरण सं 80 स्वीकृती दिनांक 14.05.1993 को चुनौती दी गई है परंतू उक्त नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत ना होकर नायब तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृतसुदा होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार का नही है अपीलांट को चाहिये था की इसकी अपील सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय में करते परंतु उनके द्वारा ऐसा नही करके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुये इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है इस न्यायालय को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये नामांतरकरणों की अपीले ही सुनने का अधिकार है। लिहाजा अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार की नही होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

उपखण्ड अधिकारी * जिला - पाली (राज.)